निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 72/2022(रे0वाद)
दायर दिनांक – 04/04/2022
निर्णय दिनांक – 22/01/2025

अनवान

1. मांगु पिता पेमा जाति रेगर निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

वादी

बनाम

1. फतेहराम पिता शंकर जाति रेगर निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. मोहनलाल पिता शंकर जात रेगर निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. नारायणी पुत्री शंकर जाति रेगर निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– अनुपस्थित।

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धरा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम आंजना पटवार मण्डल आजना की आराजी नम्बर 862 रक्चा 0.06 बिस्वां पूर्व मे वादी के पिता पेमा पिता नाथा के खाते दर्ज थी। एवं आराजी नम्बर 876 रक्बा 0.18 बिस्वा मेगा वल्द खंगारा व पेमा पिता नाथा की खातेदारी भूमि दर्ज थी एवं कुल दोनो आराजी पैतृक थी। व बडा पुत्र शंकर होने से रेकार्ड में शंकर पिता पेमा के नाम पर भूमि दर्ज हो गई। वादी के दादा पेमा ने शंकर व मागु को उसके जीवन काल में अपने अपने हिस्से की भूमि आधी आधी जमीन बाटकर मौके पर कब्जा सिपुंद कर दिया तब से वादी आराजी नम्बर 862 रक्बा 0.06 विस्वा मे अपने 1/2 हिस्से व आराजी नम्बर 876 रक्बा 0.18 में 1/4 हिस्से भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वादी के दादा की मृत्यु होने पर वादी नाबालिग होने से भूमि अपने बडे भाई शंकर

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

के खाते दर्ज हो गई तथा शंकर की मृत्यु के बाद सके दोनो पुत्र प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हो गई तथा वादी का नाम खातेदारी में दर्ज नही हुआ। तथा वादी के बालीग होने के बाद वादी ने भूमि सम्बन्धी जानकारी करने हेतु भूमि कि नकले निकलवाई तो वादी को जानकारी हुई जानकारी से उत्पन्न हुआ । नविन सेटल मेन्ट होने से पुराने आराजी नम्बर 862 रक्बा 0.06 विस्वा के नये आराजी नम्बर 1315 क्षेत्रफल 0.0700 हैक्टर व पुराने आराजी नम्बर 876 रक्बा 0.18 विस्या के नये आराजी नम्बर 1332 क्षेत्रफल 0.1900 हैक्टर बने। प्रतिवादी भुमि को अन्यन्त्र ट्रांसफर नही करे एवं वादी को भुमि में बेदखली हेतु स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में खाते में दर्ज नहीं हुआ है तथा भुमि प्रतिवादीगण के नाम आराजी नम्बर 862 रक्बा 0.06 विस्वा 1/2 हिस्सा में व आराजी नम्बर 876 रक्चा 0.18 में 1/4 हिस्से दर्ज होनी चाहिये जो जमबान्दी रेकार्ड मे दर्ज नहीं हुई है जबकि वादी का नाम भुमि में आना चाहिये जिससे यह दावा भुमि में हिस्सा खातेदारी में दर्ज कराने हेतु घोषणा का है एवं वादी के हिस्से की 1/2 भुमि को प्रतिवादी अन्यन्त्र ट्रांसफर नही करे एवं वादी का कब्जा नही होने से इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का है। वाद ग्रस्त आराजी ग्राम आंजना तहसील देवगढ में स्थित होकर न्यायालय आपको श्रवणाधिकार प्राप्त तथा यह कृषि भुमि के खातेदारी की घोषणा का होने के न्यायालय आपको श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर पेश होकर अन्दर अवधि है। वाद पत्र 2 प्रत में पेश है। वादी निम्न लिखित वाद प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी निम्नलिखित दाद प्राप्त करना चाहता है– कि ग्राम आंजना तहसील देवगढ की नवीन सेटल मेन्ट होने से पुराने आराजी नम्बर 862 रक्बा 0.06 विस्वा के नये आराजी नम्बर 1315 क्षेत्रफल 0.0700 हैक्टर में वादी का 1/2 हिस्सा व पुराने आराजी नम्बर 876 रक्बा 0.18 विस्वा के नये आराजी नम्बर 1332 क्षेत्रफल 0.1900 हैक्टर बने इसमे 1/4 हिस्से का वादी को खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाने की घोषणा की डिकी सादिर फरमाई जावे। प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी को अन्यन्त्र ट्रांसफर नही करे एवं वादग्रस्त भुमि का कब्जा वादी से नही छीने इस

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

हेतु उसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराई जावे। अन्य कानूनी दाद जो देय हो वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे। दावा–दादरसी।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं 03 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह मांगु, मिठु, चुनीलाल के शपथ पत्र पेश किए गए। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि प्रकरण में वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे से यह सिद्ध हो कि वादी व शकंरलाल पेमा के वारिसान हो तथा वादी ने वादपत्र में वाद हेतुक कब उत्पन्न हुआ इसका उल्लेख नहीं किया गया जिससे वादी प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्ध करने में असफल रहा है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 निम्न प्रकार हैः–

88. Suits for declaration of right—

(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.

(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.]

रामेश्वर बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (राजस्थान उच्च न्यायालय) ने माना कि केवल कब्जा या गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं।

नन्दलाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (राजस्थान उच्च न्यायालय) में स्पष्ट है कि केवल कब्जा पर्याप्त नहीं है व दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक है।

रामपाल बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (राजस्थान उच्च न्यायालय) 2014, छोटु बनाम जुथाराम (राजस्व बोर्ड), के निर्णयों से स्पष्ट प्रतीत है कि केवल कब्जा या मौखिक साक्ष्य, गिरदावरी के दस्तावेज किसी भी पक्षकार को खातेदारी अधिकार देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्व नही किये जाने से अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 22/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

मांगु बनाम फतेहराम व अन्य
72/2022 (रे0वाद)
निर्णय दिनांक 22/01/2025

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 72/2022

अनवान

1. मांगु पिता पेमा जाति रेगर निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

वादी

बनाम

1. फतेहराम पिता शंकर जाति रेगर निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. मोहनलाल पिता शंकर जात रेगर निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. नारायणी पुत्री शंकर जाति रेगर निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– अनुपस्थित।

में इस आशय मे दिनांक 22/01/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्व नही किये जाने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)